न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 08/2020 पीठासीन अधिकारी
रज्जू दिनांक : 03–03–2020 **श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)**

प्रेम पत्नी स्व. सुखजी जाति माली निवासी ग्राम सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीनी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय **दिनांक :13–08–2022**

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 820/308 रकबा 2.000 बीघा, खसरा नं0 824/256 रकबा 0.0300 बिस्वा, खसरा नं0 827/327 रकबा 0.1500 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि की प्रार्थीनी एकमात्र रिकाडेर्ड खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थीनी के पति का वास्तविक नाम सुखजी है लेकिन प्रार्थीनी का पति से घरवाले सुरज्या कहकर बोलते थे। इसलिए प्रार्थीनी के पति का वास्तविक नाम सुखजी के सथान पर उक्त आराजीयात भूमि के रिकार्ड में सुरज्या का अवैध इन्द्राज कर दिया। जिसे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से दुरूस्त करवाने हेतू प्रार्थीनी कानूनन अधिकृत है। प्रार्थीनी के अन्य कागजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेंशन पी.पी.ओ., मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज में प्रार्थीनी के पति का मूल व वास्तविक नाम सुखजी है। लेकिन विरासत के नामान्तकरण के समय प्रार्थीनी अनजान होने से कानूनी ज्ञान नही होने की वजह से वास्तविक नाम का इन्द्राज नही होकर राजस्व ऐजेन्सी की गलती से सुखजी के स्थान पर अवैध रूप से सुरज्या कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थीनी को कानूनी रूप से हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीनी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थीनी के पति का अवैध इन्द्राज होने से तथा

13.08.2022

अन्य दस्तावेजात में अलग इन्द्राज होने से राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सभी कृषको को मिलने वाली सुविधाओ से भी वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के वास्तविक पति का नाम का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सुरज्या के अवैध इन्द्राज को लोपित किया जाकर उसके स्थान पर सही व वैध सुखजी का इन्द्राज किया जाना जरूरी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट से दुरुस्त इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई तथा रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 820/308 रकबा 2.000 बीघा, खसरा नं0 824/256 रकबा 0.0300 बिस्वा, खसरा नं0 827/327 रकबा 0.1500 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीनी के पति का नाम सुरज्या पुत्र छोटेलाल माली का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर सुखजी पुत्र छोटेलाल का नाम अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है। इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 820/308 रकबा 2.000 बीघा, खसरा नं0 824/256 रकबा 0.0300 बिस्वा, खसरा नं0 827/327 रकबा 0.1500 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का सुरतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज प्रार्थीनी के पति का नाम सुरज्या पुत्र छोटेलाल माली का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर सुखजी पुत्र छोटेलाल माली नाम का अंकन किये जाने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13–08–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13.08.2022

(मोहरसिंह मीना)

उपखण्ड अधिकारी लालसोट